



टेण्डर/प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी क्षेत्र के कंस्ट्रिक्ट डिपो कार्यशाला प्रांगण, काशी डिपो कार्यशाला प्रांगण, विन्ध्यनगर डिपो कार्यशाला प्रांगण, क्षेत्रीय कार्यशाला प्रांगण, सोनमद्र डिपो बस स्टेशन व कार्यशाला प्रांगण तथा जौनपुर डिपो बस स्टेशन व कार्यशाला प्रांगणों एवं उसके अन्तर्गत आने वाले शौचालय-मुत्रालय की सफाई-धुलाई हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए लेबर डिपार्टमेंट द्वारा पंजीकृत फर्मों/टेकेंदारों से परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दरों पर निम्न शर्तों के साथ टेण्डर/प्रस्ताव दिनांक: 22.10.2019 को आमंत्रित किये जाते हैं। टेण्डर/प्रस्ताव दिनांक 22.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे से 14.00 बजे तक कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी में रखे टेण्डर बाक्स में डाला जायेगा, जो दिनांक: 22.10.2019 को ही उपस्थित प्रस्तावकों के समक्ष समय 15.00 बजे टेण्डर बाक्स खोला जायेगा। टेण्डर/प्रस्ताव पर स्पष्ट नाम व पता लिखा जायेगा। आफर के साथ मानक अनुसार प्रमाण पत्र एवं प्रतिभूति रू०-1000/-प्रति डिपो का जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी के नाम प्लेज्ड होगा संलग्न करना होगा। निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाली संस्था/टेकेंदारों के प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। क्षेत्रीय समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

निर्धारित मानक

1. स्टेशन/कार्यशाला परिसर एवं प्लेटफार्म की यांत्रिक सफाई-धुलाई से सम्बन्धित संयंत्रों की उपलब्धता(संयंत्रों का उल्लेख टेण्डर/प्रस्ताव में किया गया है)।
2. प्लेटफार्म आदि की वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना।
3. किसी बड़े संस्थान जहां जन सामान्य का आगमन होता हो, में सफाई-धुलाई का अनुभव का सत्यापित प्रमाण-पत्र।
4. टायलेट यूरिनल पर जहां आवश्यक हो उपयुक्त केमिकल के माध्यम से करा सकने की छमता।
5. टेण्डर/प्रस्ताव के साथ संस्था द्वारा ई०पी०एफ०/आयकर जमा करने का सत्यापित प्रमाण-पत्र।
6. वित्तीय क्षमता के साथ में टर्नओवर वर्ष 2017-18 व 2018-19 की सत्यापित प्रमाण पत्र।
7. भूतपूर्व सैनिक संगठनों को वरियता दी जायेगी। संगठन का प्रमाण पत्र।
8. स्टेशन/कार्यशाला/प्रांगणों की सफाई-धुलाई हेतु कार्मिकों की संख्या अंकित करना होगा।
9. सफाई-धुलाई के कार्य में आवश्यक सुरक्षा मानक संस्था/टेकेंदारों द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। इसके अभाव में किसी घटना के होने का उत्तरदायित्व संस्था/टेकेंदार का होगा।

शर्त:-

1. बिल प्रस्तुत करते समय जीयसटी का उल्लेख करना होगा।
2. सफाई में प्रयुक्त सामग्री का वहन/संगठन को करना होगा।
3. सफाई-धुलाई का ठेका दो वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जायेगा। ठेके को किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक में निहित होगा।
4. सफाई-धुलाई हेतु 24 घण्टे कार्य करना होगा।
5. शेष शर्तें, दर एवं एरिया की जानकारी कार्यालय दिवस में किसी भी समय की जा सकती है।

(के०के०शर्मा)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
वाराणसी

पत्रांक:- 2013 / 019, वारा० / क्षे०प्र० / जन-ठेका / सफाई-धुलाई /

दिनांक- 5/10/19 .2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्र०प्र०(पी०एण्ड०आईडीए) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक(एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ, महोदय को इस अनुरोध के साथ कि वह उक्त सूचना परिवहन निगम के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
4. सेवा प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम वाराणसी।
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम वाराणसी क्षेत्र, को इस आशय से कि वह उक्त सूचना बस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्ताप करावें।
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/कार्मिक, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, वाराणसी।
7. समस्त वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी/सी०फो० वाराणसी क्षेत्र।
8. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
वाराणसी

E-TENDER

SPM